न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) वाद संख्या–153/2012

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर –बनाम– अर्जुन राम एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
18.07.2018	आदेश विद्वान् विशेष लोक अभियोजक को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि दिनांक 13.12.2013 को पारित आदेश में लहेरियासराय थाना कांड संख्या–352/2012 में जब्त 10 (दस) सिलेंडर जिसमें 08 पर भारत गैस एवं 02 पर इन्डेन गैस लिखाया, को अधिहरण के बिन्दु पर तत्कालीन समाहर्त्ता के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को निदेश दिया गया था कि सरकार के अपर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक सं0–17011 दिनांक 22.06.2011 के आलोक में खाली गैस सिलेंडर को संबंधित गैस कम्पनी के प्राधिकृत विक्रेता के माध्यम से उचित प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लौटा दें तथा विपक्षी को प्रत्युत्तर दाखिल करने का निदेश दिया गया है। आदेश फलक के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी इस वाद में उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर दिनांक 14.11.2014 को दाखिल किये हैं, लेकिन वाद की निर्धारित सुनवाई की तिथि को उपस्थित नहीं हुए हैं। विपक्षी द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर से विपक्षी का कथन है कि विपक्षी अनुज्ञप्ति प्राप्त भेंडर के मजदूर हैं जिनके द्वारा सिलेंडर को उपभोक्ता तक पहुँचाया गया है। संबंधित अवधि में विपक्षी के माता जी के बीमार पड़ जाने के कारण सिलेंडर उपभोक्ताओं को नहीं पहुँचाया गया। उक्त के समर्थन में कुछेक उपभोक्ताओं का सामूहिक बयान समर्पित किये हैं, जो अभिलेख पर संधारित है। विपक्षी का अनुरोध है कि संबंधित जब्त सिलेंडर वापस करने की कृपा की जाय। विद्वान् विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि विपक्षी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट नहीं है कि किस अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता के मजदूर हैं तथा घटित घटना दिनांक 31.08.2012 के समय जब्त सिलेंडर के परिप्रेक्ष्य में किसी भी प्रकार का साक्ष्य विपक्षी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः जब्त सिलेंडर को सरकार के अवर सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, नई दिल्ली के पत्रांक 17011 दिनांक 22.06.2011 के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। विपक्षी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के अवलोकन एवं आभिलेख पर संधारित साक्ष्य से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा कथित कथन के समर्थन में पूरक साक्ष्य उपस्थापित नहीं है जिस कारण समर्पित	

प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है। इस मामले में दिनांक 13.12.2013 को ही तत्कालीन समाहर्त्ता सह जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के द्वारा जब्त 10 सिलेंडर को संबंधित सरकारी पत्र 17011 दिनांक 22.06.11 में सन्निहित प्रावधान के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

अतः सम्यक रूप से विचारोपरान्त मेरा समाधान है कि पूर्व में पारित आदेश दिनांक 13.12.2013 का अनुपालन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा करेंगे।

उक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा	18.07.18 समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा